प्रेस नोट

भोपाल, दिनांक 24.2.2011

माननीय वित्त मंत्री श्री राघवजी ने आज मध्यप्रदेश विधान सभा में वर्ष 2011-2012 का बजट प्रस्तुत किया गया है । वर्ष 2011-2012 के प्रस्तुत बजट में मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है : -

- वर्ष 2011-2012 के बजट में कुल व्यय ₹ 65845.63 करोड़ का प्रावधान
- वर्ष 2011-2012 के लिये ₹ 3866.50 करोड़ का राजस्व आधिक्य
- वर्ष 2011-2012 का राजकोषीय घाटा ₹ 7981.78 करोड़ होना संभावित है
- मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति अनुमानित।
- वित्तीय वर्ष 2011-2012 की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां ₹ 57789.99 करोड़ है, जिनमें राज्य के स्वयं के कर की राशि ₹ 23118.31 करोड़, केन्द्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा ₹ 17028.69 करोड़, करेतर राजस्व ₹ 5999.44 करोड़ एवं केन्द्र से प्राप्त अनुदान ₹ 11643.55 करोड़ शामिल है।

- वित्तीय वर्ष 2011-2012 में वर्ष 2010-11 के राज्य के स्वयं के कर राजस्व के बजट अनुमानों से 23.82 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।
- वित्तीय वर्ष 2011-2012 में राजस्व व्यय ₹ 53923.49 करोड़ अनुमानित है जो वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान ₹ 41863.26 करोड़ से ₹12060.23 करोड़ अधिक है।
- वर्ष 2011-2012 का प्रारंभिक शेष ₹ (-) 164.40 करोड़ अनुमानित है। वर्ष के संव्यवहार अनुमानित ₹ (+) 85.61 करोड़ है इस प्रकार वित्तीय वर्ष के अंत में शुद्ध वित्तीय संव्यवहार ₹ (-) 78.79 करोड़ पर समाप्त होना अनुमानित है।
- वर्ष 2010-11 के बजट आयोजना व्यय ₹ 21939.13 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2011-12 में कुल आयोजना व्यय ₹ 25578.79 करोड़ प्रावधानित है। जो गत वर्ष से 16.59 प्रतिशत अधिक है
- आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत वर्ष 2010-2011 के बजट अनुमान ₹ 4090.77 करोड़ से बढ़कर ₹ 4878.64 करोड़ प्रावधानित है, जो कि बजट अनुमान वर्ष 2010-11 से 19.25 प्रतिशत अधिक।
- अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत वर्ष 2010-2011 के बजट अनुमान ₹ 2748.90 करोड़ से बढ़कर ₹ 3354.45 करोड़ प्रावधानित है, जो कि बजट अनुमान वर्ष 2010-11 से 22.02 प्रतिशत अधिक।

राजकोषीय स्थिति

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का अनुपात 3.00 प्रतिशत।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजस्व आधिक्य का अनुपात 1.45 प्रतिशत।
- ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत 9.25।

अधोसंरचना विकास

- वर्ष 2011-12 में ऊर्जा क्षेत्र अन्तर्गत ₹ 5,169 करोड़ का प्रावधान जो कि वर्ष 2010-11 से 65% अधिक है।
- फीडर विभक्तिकरण योजना अंतर्गत वर्ष 2011-12 में अनुमानित कुल व्यय ₹ 2,490 करोड़
- कृषकों को सस्ती दरों पर सिंचाई हेतु बिजली उपलब्ध कराने हेतु अनुदान के रुप में वर्ष 2011-12 में ₹ 1,455 करोड़ का प्रावधान
- समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि को कम करने के लिए विद्युत ज्योति पुरस्कार योजना प्रस्तावित, योजना अन्तर्गत नगर पालिका को ₹ 10 लाख, नगर पंचायत को ₹ 5 लाख एवं ग्राम पंचायत को ₹ 1 लाख के मान से पुरुस्कृत किया जाएगा।
- पारेषण एवं उप-पारेषण व्यवस्था के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु ₹ 866 करोड़ का प्रावधान
- सड़कों के निर्माण एवं संधारण हेतु (मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के ₹ 240 करोड़ को शामिल करते हुये) ₹ 3,051 करोड़ का प्रावधान
- 71 नवीन सड़क एवं पुलों का निर्माण

पेयजल एवं सिंचाई

- सिंचाई क्षेत्र में वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 3,605 करोड़ के प्रावधान

- वर्ष 2011-12 में प्रारंभ की जा रही 10 वृहद एवं 4 मध्यम नवीन सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने पर 1,46,226 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा प्राप्त
- जल प्रदाय योजनाओं के लिए ₹ 614 करोड़ एवं पेयजल संधारण हेतु ₹ 630 करोड़, इस प्रकार कुल ₹ 1,244 करोड़ का प्रावधान
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रों के छात्रावासों एवं आश्रमों में पेयजल व्यवस्था हेतु ₹ 19 करोड़ का प्रावधान

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र

- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र हेतु ₹ 5075 करोड़ का प्रावधान जो गतवर्ष से 32% अधिक
- पाला एवं शीत लहर के प्रकोप से प्रभावित कृषकों को राहत हेतु अभी तक ₹ 700 करोड़ की व्यवस्था
- सहकारी बैंको के माध्यम से अल्पकालिक कृषि ऋण मात्र 1% की प्रभावी ब्याज दर पर उपलब्ध कराये जाने का निर्णय
- अल्पकालिक ऋणों को मध्यकालिक ऋण में परिवर्तित किए जाने तथा इस परिवर्तित ऋण पर पूर्ण अवधि के लिए मात्र 3% प्रतिशत

की दर से ब्याज प्रभारित करने का निर्णय

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत कृषि कार्यों हेतु ₹ 427 करोड़, उद्यानिकी हेतु ₹ 43 करोड़, मछली पालन हेतु ₹ 14 करोड़ तथा पशुपालन हेतु ₹ 98 करोड़ के प्रावधान
- देसी नस्ल की दुधारू गौवंशीय पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गोपाल पुरस्कार योजना। राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाली गायों के पालकों को क्रमशः ₹ 2 लाख, ₹ 1 लाख एवं ₹ 50 हजार तथा जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाली गायों के पालकों को क्रमशः ₹ 50 हजार, ₹ 25 हजार एवं ₹ 15 हजार के पुरस्कार
- मछुआरों को भी फिशर मेन क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत 3% की प्रभावी ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना
- गेहूँ उपार्जन पर ₹ 100 प्रति क्विंटल एवं धान उपार्जन पर ₹ 50 प्रति क्विंटल बोनस दिया जाना प्रस्तावित। इस हेतु ₹ 350 करोड़ का प्रावधान
- अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत वर्ष 2011-12 में राशि ₹ 290 करोड़ का प्रावधान

वन, आवास एवं पर्यावरण

- विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन शोध केन्द्र की स्थापना हेतु ₹ 3 करोड़ का प्रावधान
- प्रदेश में कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने संबंधी परियोजनाओं के निर्माण, समन्वय एवं स्वीकृति की प्रक्रिया को गति देने के लिये क्लीन डेव्हलेपमेंट मेकेनिज्म अथारिटी का गठन
- माननीय विधायकों के विश्रामगृह में सुविधाओं के विस्तार एवं मरम्मत हेतु ₹ 5 करोड़ का प्रावधान

शिक्षा

- शिक्षा अन्तर्गत ₹10,043 करोड़ का प्रावधान
- शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु ₹ 1,474 करोड़ का प्रावधान
- संविदा शिक्षक वर्ग-एक, वर्ग-दो एवं वर्ग-तीन के वर्तमान मानदेय को आगामी शिक्षा सत्र से क्रमशः ₹ 5500, ₹ 4500 एवं ₹ 3500 किया जाएगा
- 160 हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन हेतु ₹ 11 करोड़ का प्रावधान
- स्कूल भवनों के निर्माण हेतु ₹ 18 करोड़ तथा ग्रंथालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु ₹ 2 करोड़ का प्रावधान
- निर्धन एवं कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अभियांत्रिकी, चिकित्सा एवं वाणिज्य के चयनित महाविद्यालयों में प्रवेश दिलाये जाने हेतु प्रशिक्षण के लिए नई योजना इस योजना में चयनित 150 विद्यार्थियों के लिये राज्य शासन के व्यय पर विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
- महाविद्यालयों के अधोसंरचना विकास हेतु ₹ 21 करोड़ का प्रावधान
- ें,अन-सर्विस्ड विकास खण्डों में जन-निजी भागीदारी के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, जिला मुख्यालय में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के रुप में उन्नयित किया जाना, कौशल विकास केन्द्र की स्थापना हेतु ₹ 47 करोड़
- बालकों को भी कक्षा छठवीं एवं नवमी में प्रवेश पाने पर निःशुल्क साईकिल वितरण करने का निर्णय
- साईकिल वितरण की योजना हेतु ₹ 125 करोड़ का प्रावधान
- पोलीटेकनिक एवं इंजीनियरिंग संस्थाओं के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निखार, संवाद कौशल बढ़ाने तथा उन्हें विभिन्न संस्थाओं में नियोजन योग्य बनाने हेतु फिनिशिंग स्कूल प्रारंभ

पर्यटन एवं संस्कृति

- निजी कम्पनियों द्वारा इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर के बीच वायु सेवा के संचालन को प्रोत्साहन दिये जाने के उद्देश्य से कुल ₹ 4 करोड़ का प्रावधान
- इन्दौर में होटल प्रबंधन संस्थान की स्थापना हेतु ₹ 1 करोड़ का प्रावधान
- बुद्धिस्ट परिपथ, जैन परिपथ, हैरिटेज पर्यटन, ईको एवं साहसिक पर्यटन के विकास, पर्यटक सुविधाओं के विस्तार एवं उन्नयन, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं शहरों में संकेतक, मेला एवं उत्सव, हवाई पट्टी का विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यों हेतु ₹ 45 करोड़ का प्रावधान
- सौ वर्षों से अधिक अवधि से आयोजित हो रहे एवं न्यूनतम 15 दिवस तक चलने वाले प्रतिष्ठित मेलों हेतु अनुदान की योजना
- पुरातात्विक महत्व के स्थानों के संरक्षण के लिए ₹ 43 करोड़ का प्रावधान
- डॉ. शंकर दयाल शर्मा राज्य संग्रहालय हेतु ₹ 1 करोड़ का प्रावधान

खेलकूद

- खेलकूद के क्षेत्र में ₹ 101 करोड़ का प्रावधान

पंचायत एवं ग्रामीण विकास

- पंचायतों को अंतरण हेतु ₹ 1680 करोड़ का प्रावधान
- गरीबी उन्मूलन योजना अंतर्गत 1,500 नवीन ग्रामों में 8,000 महिला स्व-सहायता समूह का गठन करने का लक्ष्य है। इस हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान

- ग्रामीण आजीविका परियोजना अन्तर्गत 27,000 परिवारों को जोड़े जाने का लक्ष्य, इस हेतु ₹ 48 करोड़ का प्रावधान

- कपिल धारा योजना अंतर्गत ₹ 45 करोड़ का प्रावधान
- प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के लगभग 90 लाख विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित करने का लक्ष्य इस हेतु ₹ 768 करोड़ का प्रावधान

स्वास्थ्य

- महाराज तुकोजीराव अस्पताल, इंदौर में महिलाओं हेतु 300 शैय्यायुक्त अस्पताल भवन का निर्माण
- गांधी मेडीकल कालेज, भोपाल में वायरोलोजी लैब की स्थापना
- दीन दयाल अंत्योदय उपचार योजना हेतु ₹ 35 करोड़ का प्रावधान
- जबलपुर में चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना
- चिकित्सा क्षेत्रों में अधोसंरचना कार्यों के लिए ₹ 168 करोड़ का प्रावधान

महिला एवं बाल विकास

- लाड़ली लक्ष्मी योजना के अन्तर्गत ₹ 439 करोड़ का प्रावधान
- अटल बाल आरोग्य मिशन की स्थापना हेतु ₹ 88 करोड़ का प्रावधान
- किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना "सबला" हेतु ₹ 40 करोड़ का प्रावधान
- आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण हेतु ₹ 100 करोड़ का प्रावधान एवं रख-रखाव के लिए ₹ 8 करोड़ का प्रावधान

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण

- छात्रावासों एवं आश्रमों में निवासरत अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को मिलने वाली शिष्यवृत्ति की राशि को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाना माह नवम्बर, 2010 से इन शिष्यवृत्तियों में ₹ 175 प्रतिमाह वृद्धि इसके फलस्वरूप बालकों को ₹ 675 एवं बालिकाओं को ₹ 700 की शिष्यवृत्ति
- 30 अंग्रेजी माध्यम की नवीन आश्रम शालायें, 2 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, 50 माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल में उन्नयन, 20 हाईस्कूलों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उन्नयन तथा 20 अतिरिक्त संकाय खोले जाने का लक्ष्य है।
- इसके अतिरिक्त 40 छात्रावासों, 80 आश्रम स्कूलों तथा 40 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण, 8 पोस्ट मैट्रिक, 10 प्री मैट्रिक नवीन कन्या छात्रावासों की स्थापना

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण

- 11 पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास भवनों का निर्माण
- अल्पसंख्यक बाहुल्य जिला विकास कार्यक्रम अंतर्गत भोपाल में सौ सीटर कन्या छात्रावास का निर्माण
- पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियों के लिए ₹ 366 करोड़ का प्रावधान
- अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियों के लिए ₹ 32 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना अंतर्गत ₹10 करोड़ का प्रावधान
- तालीम घर के लिए मदरसा बोर्ड को राज्यांश अनुदान ₹ 35 लाख का प्रावधान

नगरीय निकाय

- नगरीय निकायों को अंतरण हेतु ₹ 2707 करोड़ का प्रावधान
- नगरीय निकायों को अपने कर-प्रबंधन में सुधार एवं कर-संग्रहण में बेहतर उपलब्धि प्राप्त करने पर प्रोत्साहन स्वरुप पुरुस्कृत करने की योजना
- इस योजना के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाली नगर पालिकाओं को क्रमशः ₹ 50 लाख, ₹ 30 लाख एवं ₹ 20 लाख तथा नगर पंचायतों को क्रमशः ₹ 25 लाख, ₹ 15 लाख एवं ₹ 10 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा।
- नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की समुचित व्यवस्था अंतर्गत निकायों द्वारा अनुदान के साथ-साथ जन-निजी भागीदारी के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाया जाकर पेयजल स्रोत विकसित करने हेतु ₹ 50 करोड़ का प्रावधान
- बुरहानपुर एवं ग्वालियर शहर के आंतरिक सड़कों के निर्माण हेतु ₹ 25 करोड़ का प्रावधान
- राजधानी परियोजना अंतर्गत भोपाल की सड़कों के विकास हेतु ₹ 30 करोड़ का प्रावधान
- सिहंस्थ-2016 हेतु ₹ 5 करोड़ का प्रावधान

सामाजिक न्याय

- प्रत्येक जिले में वर्ष में एक बार अन्त्योदय मेले का आयोजन के लिए ₹ 15 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में ₹ 40 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत ₹ 42 करोड़ का प्रावधान

उद्योग एवं खनिज

- राज्य उद्योग संवर्धन नीति अंतर्गत राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में धनवेष्ठन को बढ़ावा देने के लिए ₹ 180 करोड़ का प्रावधान
- औद्योगिक क्षेत्र के अधोसंरचना विकास हेतु ₹ 13 करोड़ का प्रावधान

- औद्योगिक इकाईयों को ब्याज एवं निवेश अनुदान हेतु क्रमशः ₹ 16 करोड़ एवं ₹ 21 करोड़ का प्रावधान
- पावरलूम बुनकरों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने हेतु ₹ 8 करोड़ का अनुदान का प्रावधान
- रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना अंतर्गत ₹ 23 करोड़ का प्रावधान
- टसर रेशम विकास एवं विस्तार योजना के ₹ 12 करोड़ का प्रावधान
- कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ₹ 5 करोड़ का प्रावधान

प्रशासनिक सुधार

- अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान स्थापना हेतु ₹ 2 करोड़ का प्रावधान
- प्रशिक्षण सुविधाओं में विस्तार के लिये आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में अधोसंरचना निर्माण हेतु ₹ 4 करोड़ का प्रावधान

कर्मचारी कल्याण

- कर्मचारियों एवं पेंशनरों को दिनांक 01.04.2011 से 10 प्रतिशत मंहगाई भत्ते/राहत की अतिरिक्त किस्त
- कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु जिला पेंशन कार्यालयों की स्थापना
- अंशकालिक सफाई कर्मचारियों, अंशकालिक भृत्यों एवं स्कूलों में कार्यरत अंशकालिक लिपिकों के पारिश्रमिक में अप्रैल, 2011 से क्रमशः ₹ 200, ₹ 400 एवं ₹ 500 प्रतिमाह वृद्धि का निर्णय

कानून एवं व्यवस्था

- पुलिस बल के सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 6,255 पदों पर का निर्माण
- पुलिस बल के लिए ₹ 2,472 करोड़ का प्रावधान
- गृह विभाग के बजट में गतवर्ष की तुलना में 36 % वृद्धि
- पुलिस थानों के सुदृढ़ीकरण के लिये फर्नीचर एवं स्टेशनरी हेतु ₹ 3 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान